## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 187/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00271

प्रार्थी :–

महेन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रतनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति पुरोहित निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली
2. कमलादेवी पत्नी ओटाराम जाति सिरवी (चौधरी) निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली
3. मंजू चौधरी पत्नी गणेशराम जाति सिरवी (चौधरी) निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली
4. ग्राम पंचायत ढारिया जरिये सरपंच

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 15.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 159/2001–02 संकल्प संख्या 4(4) दिनांक 17.12.2004 द्वारा अप्रार्थी रतनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 7604 दिनांक 17.12.2004 को निरस्त कराने बाबत पेश की है।

निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली के वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा ढारिया के खसरा नम्बर 371 रकबा 5.1100 हैक्टर, किस्म गैर मुमकीन गौचर भूमि के करीब 0.3200 हैक्टर भूमि पर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थी का कब्जा काश्त है जो एक वाडा के रूप में स्थित है एवं उसकी तारबन्दी की हुई है। जिसमें प्रार्थी ने तिल की फसल उगा रखी है। ग्राम पंचायत ने उक्त खसरे की गैर मुमकीन गौचर की भूमि जो उनकी नजूल भूमि नहीं थी तथा न ही नियम 140 के तहत राज्य सरकार के किसी आदेश के तहत उक्त भूमि ग्राम पंचायत में निहीत थी पर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी पट्टे के लिये ग्राम पंचायत ढारिया के समक्ष कब्जा सुद भूमि का पट्टा बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिसमें दिनांक तथा प्रस्तावित भूमि की पहचान अंकित नहीं थी। जिस पर ग्राम पंचायत ने नियम 145 (2) व (3) की विधिवत पालना नहीं कर सीधे ही मिसल कायम कर दी। नियम 146 (2) के तहत किन तीन पंचो को मौका निरीक्षण एवं नक्शा बनाने हेतु नियुक्त किया एवं इन्होने किस भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, स्पष्ट नहीं है। मिसल में प्रथम आदेशिका में पंचायत में जीवन्दकलां शब्द को काटकर उसके स्थान पर ढारिया शब्द बाद में लिखा गया है जिससे प्रकट है कि ग्राम पंचायत जीवन्दकलां से लायी गई आज्ञाओं की सूची में सारी कार्यवाही की गयी है। निगरानी के साथ प्रस्तुत मिसल संख्या 159/2001–02 तथा अन्य मिसल संख्या 160/2001–02 की आदेशिकाओ पहले से साईक्लोस्टाईल रूप से एक ही दिन में एक ही पेन से लिखी गई है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 (1) के तहत आपत्तियां मागने का सूचना पत्र निर्धारित प्रपत्र 22 में जारी किया जाना चाहिये परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रपत्र नियम 260 के तहत जारी किया गया जबकि नियम 260 के तहत आपतिया मांगने का सूचना पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियम 150 से 152 की पालना नहीं कर नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष निष्पादित रजिस्टर्ड बैचाणनामा दिनांक 13.09.2019 के पेज संख्या 2 में अंकितानुसार आवासीय प्लोट का बैचाण किया एवं पेज संख्या 4 में अंकितानुसार प्लोट खाली व खुला पडा है जिसमें कोई निर्माण नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना नहीं करते हुये नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 12000 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जब कि मौके पर अप्रार्थी का कोई पैतृक पुश्तैनी कच्चा/पक्का मकान स्थित नहीं था। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2020 (1) DNJ (Raj) page 201, 2017 (2) DNJ (Raj) page 668, 2012 (2) RRT 1265, 2003 (1) RRT 174, 2000 (2) RCR 39 पेश कर जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 159/2001–02 संकल्प संख्या 4(4) दिनांक 17.12.2004 द्वारा अप्रार्थी रतनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 7604 दिनांक 17.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत ढारिया के समक्ष अपने कब्जा सुद भूमि का पट्टा बनाने बाबत् दिनांक का अंकन किये बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 30.03.02 को मिसल कायम की जाकर तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाने एवं नापकर नक्शा बनाये जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 (2) के तहत स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचों को नियुक्त किया है, अंकित नहीं है। आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र में भूमि के क्षेत्रफल का अंकन नहीं है एवं मिसल के संलग्न जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। आज्ञा दिनांक 22.05.02 द्वारा राज. पंचायती राज नियम 1996 के

अति. जिला कलेक्टर पाली

नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार नियम 148 के तहत आपत्ति ईश्तहार हेतु प्ररूप 22 में एक नोटिस का प्रकाशन किया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत ने नियम 260 फार्म सं. 50 में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र जारी कर दिया और उस पर भी पंचायत की मोहर नहीं लगी है। मिसल के संलग्न एक ही बयान फार्म है जिस पर भी दिनांक का अंकन नहीं है।।

आज्ञाओं की सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत का नाम जी. कला अंकित था जिसे काटकर ढारिया किया गया है एवं आज्ञा दिनांक 20.07.02 में वर्णित दोनो पैरोग्राफ में लेखन शैली एवं पेन की स्याही में भिन्नता है तथा आज्ञा दिनांक 20.08.03 में लगे अगुष्ठ निशान के नीचे नाम में काट छाटकर रखी है। साथ ही आज्ञा दिनांक 17.12.2004 में भी अंकित तथ्यों को काटकर बाद में अलग लेखन शैली से अंकित किया गया है। आज्ञा दिनांक 17.12.2004 की पालना में राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत 200/– रूपये की कीमत पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 12000 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया जबकि नियम 157 के तहत अधिकतम 300 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जा सकता है। वर्तमान में प्रभारी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हे निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23 के में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पर्वू में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये — रू. 100/–

(ख) (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) संनिर्मित पुराने गृहों के लिये — रू. 200/–

अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वैचाणनामा दिनांक 13.09.2019 के पेज संख्या 4 में अंकितानुसार प्लोट खाली व खुला पडा है जिसमें कोई निर्माण नहीं है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा पंचायत नियम 157 के तहत 200/– रूपये की कीमत पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने गलत तथ्यों के आधार पर पंचायत नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मिसल के संलग्न आज्ञा सूची में किसी अन्य पंचायत का नाम जी. कला अंकित था जिसे काटकर ढारिया किया गया। संलग्न नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर भी नही है एवं केवल एक बयान फार्म ही मिसल के संलग्न है। ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत 12000 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि नियम 157 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकतम 300 वर्गगज का पट्टा जारी कर सकती है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में

अति. जिला कलेक्टर पाली

पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की अक्षरशः पालना नहीं की गई है। जिसके कारण प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 159/2001–02 संकल्प संख्या 4(4) दिनांक 17.12.2004 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 रतनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7604 दिनांक 17.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली
(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्तजिलाकलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/2024
(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्तजिलाकलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली